न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 45/2020

अनुवान फूलचन्द बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 23.10.2020

फूलचन्द पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी मालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादी–

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री महेन्द्र कुमार सींवर वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 1025 रकबा 12.6800 हैक्टेयर, ख0 नं0 1246 रकबा 0.2500 हेक्टेयर कुल रकबा 12.9300 हैक्टेयर रोही मौजा मालसर तहसील सरदारशहर में अवस्थित है। वादगत कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मनफूल पुत्र शंकरलाल अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी का शुद्ध नाम फूलचन्द पुत्र शंकरलाल है। अन्य सह खातेदारों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही होने से उन्हें पक्षकार वाद नहीं बनाया गया हैं जिन्होंने उक्त सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान की है।

वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम फूलचन्द पुत्र शंकरलाल के स्थान पर मनफूल पुत्र शंकरलाल राजस्व कर्मचारियों की सहबन से रही त्रुटिवश अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। जबकि शंकरलाल के

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 17:08:28 IST
Reason: SelfAttested

मनफूल के नाम से कोई संतान नहीं है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के दो भिन्न–भिन्न नाम हैं। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम शुद्ध करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी का नाम उसके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता सूची आदि दस्तावेजों में फूलचन्द पुत्र शंकरलाल अंकित है। जो कि सत्य व सही है। मनफूल पुत्र शंकरलाल नाम वादी का वादगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में गलत दर्ज वादी का नाम शुद्धिकरण किये जाने योग्य है।

वादी का वास्तविक नाम फूलचन्द पुत्र शंकरलाल है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में मनफूल पुत्र शंकरलाल अंकित होने से वादी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम मनफूल पुत्र शंकरलाल के स्थान पर सही नाम फूलचन्द पुत्र शंकरलाल दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हल्का पटवारी से प्राप्त की तो वादी को इस अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल करके वादी प्रतिवादी से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम मनफूल पुत्र शंकरलाल के स्थान पर सही नाम फूलचन्द पुत्र शंकरलाल दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमि ग्राम मालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित होने से दावा हाजा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

वादी ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमि ख0 नं0 1025 रकबा 12.6800 हैक्टेयर, ख0 नं0 1246 रकबा 0.2500 हेक्टेयर कुल रकबा 12.9300 हैक्टेयर रोही मौजा मालसर तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम मनफूल पुत्र शंकरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम फूलचन्द पुत्र शंकरलाल दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 17:08:28 IST
Reason: SelfAttested

मनफूल पुत्र शंकरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम फूलचन्द पुत्र शंकरलाल घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खसरा नम्बर 1025, 1246 की छायाप्रति।
2. खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की छायाप्रति(खसरा नम्बर 1025)।
3. खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की छायाप्रति(खसरा नम्बर 1246)।
4. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
5. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. वादी के विद्यार्थी प्रगति–पत्र की छायाप्रति।
7. बी.पी.एल कार्ड की छायाप्रति।
8. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
9. वादी के जनआधार कार्ड की छायाप्रति।
10. वादी की फोटो मतदाता पर्ची की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम फूलचन्द पुत्र शंकरलाल अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 1025 रकबा 12.6800 हैक्टेयर, ख0 नं0 1246 रकबा 0.2500 हेक्टेयर कुल रकबा 12.9300 हैक्टेयर रोही मौजा मालसर तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम मनफूल पुत्र शंकरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम फूलचन्द उर्फ मनफूल पुत्र शंकरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	मालसर	1025, 1246	मनफूल पुत्र शंकरलाल	फूलचन्द उर्फ मनफूल पुत्र शंकरलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 17:08:28 IST
Reason: SelfAttested

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 17:08:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 45/2020
अनुवान फूलचन्द बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 1025 रकबा 12.6800 हैक्टेयर, ख0 नं0 1246 रकबा 0.2500 हेक्टेयर कुल रकबा 12.9300 हैक्टेयर रोही मौजा मालसर तहसील सरदारशहर के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम मनफूल पुत्र शंकरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी का सही नाम फूलचन्द उर्फ मनफूल पुत्र शंकरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज......................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 10 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 17:08:28 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 17:08:28 IST
Reason: SelfAttested